

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड राँची।

आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची माह- नवम्बर, 2016 तक।

क्र० सं०	निगरानी थाना काण्ड संख्या, तिथि एवं धारा	संबंधित विभाग	अभियुक्तो का नाम एवं पदनाम
1	भ्र०नि० ब्यूरो हजारीबाग थाना कांड सं०- 01/16, दिनांक-01.08.16 धारा- 07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी०) भ्र०नि० अधि०-1988	भूमि संरक्षण विभाग। ट्रैप केस। 90,000/- (चेक के माध्यम से)	1. प्राथमिकी अभियुक्त चन्द्रमणि, कनीय अभियंता, भूमि संरक्षण विभाग, चतरा। आरोप पत्र सं०-08/16 दिनांक-19.11.16
2	निगरानी थाना कांड सं०- 49/16, दिनांक- 14.06.16, धारा-13(2) सह पठित धारा - 13(1)(ई०) भ्र०नि० अधि०-1988	श्री दिगम्बर सिंह, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बगोदर वन प्रमंडल, हजारीबाग पूर्वी के द्वारा अपने पदस्थापन काल के दौरान पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये के अवैध सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में आई० आर० सं०- 07/16, दिनांक-21.03.16 के जॉचोपरान्त आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप पर दर्ज किया गया है।	श्री दिगम्बर सिंह, पिता-स्व० केदार सिंह, आशीर्वाद मकान नं०-106 साकेतपुरी शिव मंदिर के निकट थाना-सदर, जिला- हजारीबाग सम्प्रति वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, पूर्वी वन प्रमंडल हजारीबाग। आरोप पत्र सं०-75/16 दिनांक-10.11.16
3	भ्र०नि० ब्यूरो जमशेदपुर थाना कांड सं०- 01/16, दि०-28.08.16, धारा- 07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी०) भ्र०नि० अधि० - 1988	ट्रैप केस। 5,000 /- (राशि बरामद नहीं)	तारक नाथ दास, पिता-रजनी कान्त दास, सा०- नामो पारा, पुरानाबाजार, चाकुलिया, थाना- चाकुलिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम, (क्रलक) चाकुलिया अंचल, थाना-चकुलिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम। अंतिम प्रतिवेदन सं०-04/16 दिनांक-16.11.16 साक्ष्य की कमी समर्पित।
4	भ्र०नि० ब्यूरो हजारीबाग थाना कांड सं०- 08/16, दिनांक-20.09.16, धारा- 07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी०) भ्र०नि० अधि०-1988	ट्रैप केस। 2,500/-	प्राथमिकी अभियुक्त श्री संजय कुमार, (उम्र-39 वर्ष) पिता-कुंवर सिंह, सा०-नया बाजार, थाना-जिला-सहारसा (बिहार) तत्कालीन कनीय अभियंता, दुलमी प्रखंड, जिला-रामगढ़। आरोप पत्र सं०-07/16 दिनांक-12.11.16
5	निगरानी थाना कांड सं०- 12/15, दिनांक - 13.03.15, धारा- 406 /409 /419/ 420 /120(बी) भा०द०वि० एवं 13(2) सह पठित धारा- 13(1) (सी) (डी) भ्र०नि० अधि०-1988	मनरेगा जॉच सं० पी०ई०-17/12 के जॉचोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची के आदेश सं०-1888 दिनांक- 12.02.15 तदनुसार मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखंड रांची के पत्र सं०-260 दिनांक- 16.02.15 के आदेश के आलोक	1. श्री विनोद कुमार, पे०-स्व० डॉ० विजय कुमार प्रसाद, सा०-विजय भवन, नियर कदमकुंआ, राम प्यारी धर्मशाला, थाना-कदमकुंआ, जिला-पटना (बिहार) हा०/मो०-बरियातु हाउसिंग कॉलोनी, रोड नं०-02 शिव मंदिर के नजदीक, थाना-बरियातु, जिला-रांची तत्कालीन, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल, चाईबासा (सेवानिवृत्त)। 2. सुधीर शर्मा, पिता-स्व० इन्द्रदेव सिंह, सा०-

		में मनोहरपुर थाना (चाईबासा) कांड सं0-51/11 को स्थानान्तरित करते हुए कांड अंकित किया गया है।	तरिपर, पो0थाना-विक्रम, जिला-पटना (बिहार) तत्कालीन सहायक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल, चाईबासा। 3. श्री त्रिवेणी शर्मा, पिता-स्व0 नोनू शर्मा, ग्राम-कुरै, थाना-धोसी, जिला-जहानाबाद, बिहार, तत्कालीन कनीय अभियंता ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल, चाईबासा (सेवानिवृत्त)। सभी अभियुक्तों पर अंतिम प्रतिवेदन सं0-77/16 दिनांक-11.11.16 साक्ष्य की कमी समर्पित की गई है।
6	निगरानी थाना कांड सं0-13/15, दिनांक-13.03.15, धारा- 406/409/419/420/120(बी) भा0द0वि0 एवं 13(2) सह पठित धारा- 13(1) (सी) (डी) भा0नि0 अधि0-1988	मनरेगा जाँच सं0 पी0ई0-17/12 के जाँचोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची के आदेश सं0-1888 दिनांक-12.02.15 तदनुसार मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखंड रांची के पत्र सं0-260 दिनांक-16.02.15 के आदेश के आलोक में मनोहरपुर थाना (चाईबासा) कांड सं0-52/11 को स्थानान्तरित करते हुए कांड अंकित किया गया है।	1. श्री दिनानाथ सिंह, पे0-स्व0 रामबरही सिंह, सा0+थाना- रामगढ़, जिला-कैमुर बिहार वर्तमान रामनगरी सेक्टर-03ए, राजीव नगर थाना-राजीवनगर, जिला-पटना, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद चाईबासा। 2. श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता चाईबासा, जिला परिषद चाईबासा। 3. श्री मनोज कुमार सिंह, कनीय अभियंता, जिला परिषद चाईबासा 4. श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल चाईबासा एवं अन्य। क्रमांक-01 एवं 02 पर आरोप पत्र सं0- 78/16 दिनांक-11.11.16 तथा क्रमांक-03 एवं 04 पर साक्ष्य की कमी समर्पित की गई है।
7	निगरानी थाना कांड सं0-14/15, दिनांक-13.03.15, धारा- 406/409/419/ 420/120(बी) भा0द0वि0 एवं 13(2) सह पठित धारा-13(1) (सी) (डी) भा0नि0 अधि0-1988	मनरेगा जाँच सं0 पी0ई0-17/12 के जाँचोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची के आदेश सं0-1888 दिनांक-12.02.15 तदनुसार मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखंड रांची के पत्र सं0-260 दिनांक-16.02.15 के आदेश के आलोक में मनोहरपुर थाना (चाईबासा) कांड सं0-53/11 को स्थानान्तरित करते हुए कांड अंकित किया गया है।	1. विनोद कुमार साहु, पिता-स्व0 नथुनी साहु, कार्यपालक अभियंता। 2. सुधीर शर्मा, पिता-स्व0 इन्द्रदेव सिंह, सा0-तरिपर, पो0+थाना-विक्रम, जिला-पटना (बिहार) तत्कालीन सहायक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल, चाईबासा। 3. श्री त्रिवेणी शर्मा, पिता-स्व0 नोनू शर्मा, ग्राम-कुरै, थाना-धोसी, जिला-जहानाबाद, बिहार, तत्कालीन कनीय अभियंता ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल, चाईबासा (सेवानिवृत्त)। 4. श्री विनोद कुमार, पे0-स्व0 डॉ0 विजय कुमार प्रसाद, सा0-विजय भवन, नियर कदमकुंआ, राम प्यारी धर्मशला, थाना-कदमकुंआ, जिला-पटना (बिहार) हा0/मो0-बरियातु हाउसिंग कॉलोनी, रोड नं0-02 शिव मंदिर के नजदीक थाना-बरियातु, जिला-रांची तत्कालीन, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल, चाईबासा

			(सेवानिवृत्त)। सभी अभियुक्तों पर अंतिम प्रतिवेदन सं0-76/16 दिनांक-11.11.16 साक्ष्य की कमी समर्पित की गई है।
8	भ्र0नि0 ब्यूरो धनबाद थाना कांड सं0- 12/16, दि0-20.10.16, धारा- 07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी0) भ्र0नि0 अधि0-1988	<u>गृह विभाग ।</u> ट्रैप केस। 2000/-	प्राथमिकी अभियुक्त भीमसेन सिंह (उम्र 47 वर्ष), पिता-स्व0 बिन्देश्वर सिंह, सा0-पियार, थाना- अतरी, जिला-गया (बिहार) वर्तमान सा0आ0 460, बैंक मोड़ थाना मुंशी, जिला-धनबाद। आरोप पत्र सं0-11/16 दिनांक-17.11.16
9	निगरानी ब्यूरो थाना कांड सं0-66/16 दिनांक- 26.10.16, धारा- 07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी0) भ्र0नि0 अधि0-1988	<u>गृह विभाग ।</u> ट्रैप केस। 2000/-	प्राथमिकी अभियुक्त हीरालाल महतो, पे0-स्व0 डोमन महतो, सा0-भलुआ, थाना-विष्णुगढ़, जिला- हजारीबाग, वर्तमान पदस्थापन वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय (सूचनाधिकार कोषांग के कम्प्यूटर ऑपरेटर), रांची। आरोप पत्र सं0-79/16 दिनांक-24.11.16
10	निगरानी थाना कांड सं0- 25/13, दिनांक- 30.05.13, धारा- 420/467/468/471/34 भा0द0वि0 एवं धारा- 7/13(2) सह पठित 13(1) (सी) (डी) भ्र0नि0 अधि0-1988 (सम्प्रति विशेष वाद सं0- 26/13)	यह काण्ड निगरानी ब्यूरो पी0ई0 सं0-25/09 दिनांक-08.10.2009 के जांचोपरान्त मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखंड, रांची के पत्र सं0-656 दिनांक- 14.05.13 में दिये गये आदेश के आलोक में कुल-02 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग कर जाली विपत्र बनाकर सरकारी राशि लूटने एवं घूस के रूप में कमिशन लेने के आरोप में दर्ज की गई है।	1. श्री नारायण महतो, तत्कालीन जिला अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। (मृत) 2. श्री अजय कृष्ण द्विवेदी, कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। दोनों अभियुक्तों पर आरोप पत्र सं0-80/16 दिनांक- 25.11.16 तथ्य की भूल समर्पित।